

मुख्य उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

हुरेश बंनार हं खनी

मु. सं. 114/2023 (प्रोपत्र)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

उक्त वर्णित आराजो उभय पक्ष को समुक्त खोदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यदि अप्रार्थीगण को अर्थात् निधेखात्रा से पाबंद नहीं किया जा तो अप्रार्थी सं० 1 प्रार्थीगण की आराजो पर कब्जा कर बेचन कर सकती है जिसे प्रार्थीगण को अप्रुनीम क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्थात् निधेखात्रा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्थात् निधेखात्रा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिमे अर्थात् निधेखात्रा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम औण्डमोना तहसील मस्वा की आराजो खण्ड नं० 135/0.43, 136/0.45 व 137/0.41 कुल कितना 3 कुल रकबा 1.29 हेक्टर का वादपत्र के निर्णय तक प्रार्थीगण के हिस्सा तक रिकार्ड व गौके की मर्यादा स्थिति बनाये रखें। फतावली फैसल सुमर होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश पुनाया गया।

Mansingh  
SDO  
Mahwa -  
उप खण्ड अधिकारी  
महवा (दौसा)